

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 105 / 2016

बैंक ऑफ बडौदा शाखा, डी आर.एम ऑफिस अजमेर जरिये प्राधिकृत अधिकारी
.....प्रार्थी / सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

श्री कमरुद्दीन पुत्र श्री इब्राहिम मन्सूरी
(अ) प्लॉट नं० 4 थोक मालियान, न्यू गोविन्द नगर रामगंज, अजमेर जिला-अजमेर
(ब) गली नं० 18, नवल नगर, लौगिंग्या मौहल्ला, अजमेर जिला-अजमेर
श्रीमती रजिया बेगम पत्नि श्री कमरुद्दीन
(अ) प्लॉट नं० 4 थोक मालियान, न्यू गोविन्द नगर रामगंज, अजमेर जिला-अजमेर
(ब) गली नं० 18, नवल नगर, लौगिंग्या मौहल्ला, अजमेर जिला-अजमेर
.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्युराईटेशन रिक्सट्रक्शन
आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्क्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

विक्रम खाण्डल

अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक 15.02.2017.

आदेश
संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणी श्री कमरुद्दीन पुत्र श्री इब्राहिम मन्सूरी एवं श्रीमती रजिया बेगम पत्नी श्री कमरुद्दीन (अ) प्लॉट नं० 4 थोक मालियान, न्यू गोविन्द नगर रामगंज, अजमेर जिला-अजमेर (ब) गली नं० 18, नवल नगर, लौगिंग्या मौहल्ला, अजमेर जिला-अजमेर राजस्थान को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्री कमरुद्दीन पुत्र श्री इब्राहिम मन्सूरी एवं श्रीमती रजिया बेगम पत्नी श्री कमरुद्दीन (अ) प्लॉट नं० 4 (खसरा नं० 5678 का एक भाग) थोक मालियान, न्यू गोविन्द नगर, रामगंज, अजमेर जिला अजमेर स्थित आवासीय सम्पति 79.50 वर्ग गज को बन्धक रखकर दिनांक 4.11.2011 को राशि रुपये-17,60,000/- (अक्षरे सत्ररह लाख साठ हजार रुपये) की ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण भुगतान करने में दिनांक 31.3.2016 को डिफाल्टर होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 11.05.2016 को मांग नोटिस रुपये-17,86,096/- (अक्षरे सत्ररह लाख छियासी हजार छियानबे रुपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security intrest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी० को सूचित किया गया। अप्रार्थी० बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। उपस्थित प्रार्थी अभिभाषक द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हें सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त

559



जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे। धारा 14 के तहत कार्यवाही दौरान ऋणी/गारण्टर एवं तृतीय पक्ष को नोटिस जारी करने एवं सुनने की आवश्यकता नहीं है तथा प्रार्थना पत्र में एक माह के भीतर आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 11.05.2016 को धारा 13(2) का जारी किया नोटिस जिस पर ऋणी कमरुद्धीन के हस्ताक्षर अंकित है की फोटो स्टेट प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति श्री कमरुद्धीन पुत्र श्री इब्राहिम मन्सूरी एवं श्रीमती रजिया बेगम पत्नी श्री कमरुद्धीन (अ) प्लॉट नं0 4 (खसरा नं0 5678 का एक भाग) थोक मालियान, न्यू गोविन्द नगर, रामगंज, अजमेर जिला अजमेर स्थित आवासीय सम्पति 79.50 वर्ग गज जिसके पूर्व में भूखण्ड संख्या 05, पश्चिम में अन्य की सम्पति, उत्तर में अन्य की सम्पति, दक्षिण में आम रास्ता है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है, तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 15.02.2017 को सुनाया गया।



15/2/17
(गौरव गौयल)
जिला न्यायाधीश
अजमेर